मंथन कमांक 70

सती प्रथा

समाज में कुछ निष्कर्ष प्रचलित हैं–

1 समाज में प्रचलित गलत प्रथायें अथवा परम्पराएं धीरे धीरे समाज द्वारा स्वयं ही लुप्त कर दी जाती हैं। राज्य को इस संबंध में कभी कोई कानून नहीं बनाना चाहिए।

2 आत्महत्या प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। राज्य सहित कोई भी अन्य को इस संबंध में कोई कानून नहीं बनाना चाहिए।

3 राज्य का स्वभाव होता है कि जब वह किसी समस्या का स्वतः समाधान होते देखता है तब वह श्रेय लेने के लिए कोई कानून बनाकर उसके बीच कूद पडता है।

4 भारत में वर्तमान अनेक समस्यायें अंग्रेजो द्वारा बनाई गई राजनैतिक व्यवस्था की नकल के दुष्परिणाम है।

बहुत प्राचीन समय में एक व्यवस्था के अन्तर्गत युद्ध में भी महिलाओं पर आक्रमण या हत्या सामाजिक अपराध माना जाता था दूसरी ओर युद्ध में पुरुष बडी संख्या में मारे जाते थे। परिणाम होता था कि जनसंख्या का अनुपात असंतुलित होकर पुरुषों की संख्या बहुत कम हो जाया करती थी। ऐसी परिस्थिति में स्थानीय स्तर पर कुछ कुरीतियां प्रचलित हो जाती थी जिसे एक बुरा समाधान मान लिया जाता था। ऐसी ही कुरीतियों में बहुविवाह, कन्या भ्रुण हत्या, विधवा विवाह प्रतिबंध, देवदासी प्रथा तथा सती प्रथा को भी माना जाता है। ये प्रथायें सोच समझकर किसी मान्यता प्राप्त व्यवस्थाओं के अन्तर्गत शुरु नहीं की गई किन्तु शुरु हो गई अवश्य। राजपूतों में आमतौर पर सती प्रथा को जौहर के रुप में प्रचलित थी। वैश्य समुदाय मे विशेष रूप से राजस्थान और बंगाल में यह प्रथा कुछ अधिक प्रचलित थी। राजस्थान में इस प्रथा को सामाजिक मान्यता अधिक प्राप्त थी और जोर जबरदस्ती कम, जबकि बंगाल में इस प्रथा में जोर जबरदस्ती का अधिक उल्लेख पाया जाता है।

एक सामाजिक विचारक डॉ राममोहन राय ने इस प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाई। राम माहन राय का संबंध बंगाल से अधिक था और बंगाल में ही सती प्रथा में जोर जबरदस्ती भी ज्यादा होती थी इसलिए डॉ राय को सती प्रथा उन्मूलन के लिए देश भर में अधिक समर्थन मिला। ज्यों ज्यों सती प्रथा के पक्ष में खडे कटटरपंथियों ने डॉ राय के साथ अत्याचार शुरु किये त्यों त्यों डॉ राय का समर्थन भी बढता चला गया। अंग्रेज सरकार भारत की सामाजिक व्यवस्था में हस्तक्षेप के अवसर खोज रही थी और उसे सती प्रथा के नाम पर ऐसा सुअवसर प्राप्त हुआ कि उसने सती प्रथा उन्मूलन कानून बनाकर उसे लागू कर दिया। इस सफलता से प्रोत्साहित होकर डॉ राममोहन राय ने ही बहुविवाह का भी विरोध करना शुरु किया जो बाद में भारतीय कानूनों में शामिल हुआ। मेरे विचार में सती प्रथा कानून अनावश्यक था और अनावश्यक है भी। आत्महत्या किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता है और आत्महत्या के लिए मजबूर करना हत्या के समान अपराध। मैं नहीं समझा कि जब आत्महत्या के लिए भी मजबूर करना गंभीर अपराध था ही तब अलग से कानून बनाने की आवश्यकता क्यों हैं। जो भी व्यक्ति सती प्रथा के समर्थन मे किसी प्रकार की भ जोर जबरजस्ती करते थे उन पर हत्या का मुकदमा संभव था।

मैंने पढा है कि एक राजा ने प्रतीज्ञा कर ली कि वह सुर्यास्त के पहले एक किले पर कब्जा कर लेगा उसने देखा कि वह कब्जा नहीं कर पा रहा है तब उसने अपने ही क्षेत्र में एक उसी नाम का नकली किला बनवाया और उस किले पर आक्रमण करके अपनी प्रतीज्ञा को पूरी हुआ मान लिया। अंग्रेजो ने सती प्रथा का कानून क्यों बनाया और डॉ राय ने क्यों बनवाया यह मैं नहीं कह सकता। किन्तु स्वतंत्रता के बाद इस कानून का जिस तरह उपयोग किया गया उससे यह बात पूरी तरह स्पष्ट दिखती है । स्वतंत्रता के बाद महिला और पुरुष का अनुपात अपने आप संतुलित होता गया और विधवा विवाह महिला उत्पीडन सती प्रथा अथवा बहुविवाह की घटनाए प्राकृतिक रुप से कम होने लगी। शायद ही दस पांच वर्षो में सती प्रथा का कोई उदाहरण मिलता हो। ज्यो ज्यों

सती प्रथा समाज से बाहर होती गई त्यों त्यों भारत के राजनेताओं ने सती प्रथा कानूनों को अधिक से अधिक कठोर बल्कि कठोरतम करना शुरु कर दिया क्योंकि उददेश्य सती प्रथा को रोकना नहीं था बल्कि एक समाप्त होती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय अपने उपर लेना था। यदि किसी भी राजनेता से स्वतंत्रता के बाद उसकी बडी सफलताओं के दस उदाहरण मांगे जाये तो ऐसे 10 में सती प्रथा उन्मूलन तथा सिर पर मैला ढोने की प्रथा का उल्लेख जरुर करते मिलेंगे। अन्य अनेक गंभीर समस्याए भले ही समाज के समक्ष बढ गई हो। समाज में हिंसा के प्रति निरंतर विश्वास बढ रहा है। सत्य के प्रति निष्ठा निरंतर घट रही है। किन्तु हमारे नेता सती प्रथा उन्मूलन और सिर पर मैला ढोने वाली प्रथा के उन्मूलन का राग आज भी आलापते मिल जायेंगे।

मेरा यह स्पष्ट मत है कि सती प्रथा न कोई आपराधिक प्रथा थी न ही उसे आपराधिक हस्तक्षेप योग्य प्रथाओं में शामिल करने की आवश्यकता थी। आपराधिक कानून इस प्रथा को कमजोर करने के लिए पर्याप्त थे अर्थात यदि कोई व्यक्ति सती प्रथा के नाम पर भी किसी को बलपूर्वक मरने के लिए मजबूर करता है तो उस पर हत्या का अपराध स्पष्ट रुप से बनता है। यदि अंग्रेजों ने कोई कानून न बनाकर इस कानून का ही सहारा लिया होता तब भी सती प्रथा का दुरुपयोग रुक जाता और सामाजिक व्यवस्था में हस्तक्षेप का कलंक भी नहीं लगता। मैं स्पष्ट कर दूॅ कि सती प्रथा एक गलत प्रथा थी और ऐसी गलत प्रथा का दूरुपयोग करके उसे आपराधिक स्वरुप दे दिया गया। जिसके परिणामस्वरुप राजा राम मोहन राय, जो इस्ट इंडिया कम्पनी के लिए बहुत वर्षों तक काम करते रहे, उनके प्रयास से अंग्रेजो को सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप का अवसर मिला। अब तो समय आ गया है कि सरकार ऐसे ऐसे अनावश्यक कानूनों को समाप्त कर दे जो सामाजिक कुरीति निवारण के रुप में बनाये गये थे और अब उनकी समाज में कोई आवश्यकता नहीं हैं।

मंथन कमांक 71 गरीबी रेखा

कुछ निश्चित निष्कर्ष प्रचलित हैं।

1 कोई भी व्यक्ति न गरीब होता है न अमीर । गरीबी और अमीरी सापेक्ष होती है । प्रत्येक व्यक्ति उपर वाले की तुलना मे गरीब होता है और नीचे वाले की तुलना मे अमीर।

2 राज्य का दायित्व सुरक्षा और न्याय तक सीमित होता है अन्य जनकल्याणकारी कार्य राज्य के स्वैच्छिक कर्तब्य होता है।

3 गरीबी और अमीरी शब्द का अधिक प्रचार वर्ग विद्वेश आने के उददेश्य से अधिक होता है, समाधान के लिये कम।

4 हर राजनेता आर्थिक समस्याओ को बहुत बढाचढाकर प्रस्तुत करता है जिससे कि समाज राजनैतिक असमानता के विषय मे कुछ न सोचे।

5 गरीबो की मदद करना समाज तथा राज्य का कर्तब्य होता है, गरीबो का अधिकार नही।

राज्य का दायित्व होता है कि प्रत्येक नागरिक की स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा मे किसी को भी किसी भी परिस्थिति मे किसी तरह की बाधा उत्पन्न न करने दे। किन्तु जो लोग बिल्कुल अक्षम है और किसी भी प्रकार की कोई प्रतिस्पर्धा नही कर सकते उनकी जीवन सुरक्षा के लिये राज्य का कर्तब्य है कि वह उचित प्रबंध करे। मै स्पष्ट कर दूं कि कमजोरो की मदद करना राज्य का कर्तब्य होता है दायित्व नही । राज्य द्वारा किये गये ऐसे प्रबंध को ही गरीबी उन्मूलन कहते है। यह राज्य का स्वैच्छिक कर्तब्य होता है किन्तु राज्य इस कर्तब्य को दायित्व के समान पूरे करता है।

पूरी दुनियां मे प्रत्येक व्यक्ति के लिये गरीबी रेखा का एक निश्चित मापदंड बना हुआ है । उसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम इतना भोजन अवश्य मिलना चाहिये जिससे उसे 2100 कैलोरी उर्जा मिल सके। भारत मे इस आधार पर गरीबी रेखा का न्यूनतम मापदंड 30 रूपया प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित किया गया है । इसका अर्थ हुआ कि यदि किसी व्यक्ति को प्रतिदिन 30 रूपया से कम का भोजन प्राप्त होता हे तो वह मानवीय आधार पर कम है और उसे गरीबी रेखा के नीचे मानना चाहिये। इस आधार पर यदि पूरे भारत का

आकलन किया जाये तो करीब पंद्रह करोड लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते है। जिन्हे सरकारी सहायता से पूरा किया जाता है। इसका आकलन इस प्रकार किया गया है कि पांच व्यक्ति के एक परिवार की आय प्रतिदिन 150 रूपया से कम है तो वह गरीबी रेखा के नीचे है क्योकि परिवार मे औसत एक व्यक्ति कमाने वाला माना जाता है।

जिस तरह किसी जीवन स्तर से नीचे वाले के लिये गरीबी रेखा बनाई गई है उसी तरह कुछ लोग अमीरी रेखा की भी मांग करते है जो पूरी तरह गलत है। अमीरी रेखा का अर्थ यदि रेखा से उपर वालो से टैक्स वसूलने तक सीमित हो तो इस तरह की कोई रेखा मानी जा सकती है जिसके नीचे वाले कर मुक्त और उपर वाले करदाता होगे। किन्तु ऐसी कोई अमीरी रेखा नही बनाई जा सकती है जो किसी सीमा से उपर सम्पत्ति पर रोक लगा सके। क्योकि सम्पत्ति संग्रह प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार होता है। और कोई भी अन्य उसकी स्वतंत्रता मे बाधा नही पहुंचा सकता।

समाज मे अनेक लोग ऐसे है जो निरंतर गरीबी रेखा को 30 रूपये से आगे बढाने की मांग करते है। सुनने मे तो यह मांग बहुत आकर्षक दिखती है किन्तु है बहुत घातक । सरकार के पास गरीबी रेखा के नीचे वालो की मदद के लिये कुल मिलाकर जितना धन होता है उक्त धन की मात्रा बढाये बिना गरीबी रेखा का स्तर नही बढाया जा सकता है। यदि गरीबी रेखा का स्तर 30 रूपये से अधिक कर दिया गया तो जो वास्तविक गरीब है उन्हे प्राप्त सहायता मे कटौती करनी होगी। इसलिये ऐसी मांग बिल्कुल भी उचित नही है। आज भारत मे 30 रूपये से भी कम मे जीवन यापन करने वाले की संख्या जब करोडो मे है तब बिना साधनो के जुटाए इसे 30 रूप्ये से आगे बढाना बिल्कुल उचित नही है। पूरे देश मे यह बात भी प्रचारित कर दी गई है कि गरीबी रेखा के नीचे वालो का अधिकार है कि वे अपने भरण पोषण के लिये सरकार से सहायता ले सके । इस प्रचार ने बहुत नुकसान किया है । एक प्रकार से छीना झपटी की स्थिति पैदा हो जाती है। न्यायालय भी हस्तक्षेप करना शुरू कर देता है। राजनीति भी सकिय हो जाती है । जबकि स्पष्ट है कि कमजोरो की सहायता करना मजबूतो का कर्तब्य होता है कमजोरो का अधिकार नही। फिर भी इसे कमजोरो के अधिकार के रूप मे स्थापित कर दिया गया है। एक बात और विचारणीय है कि गरीबी रेखा का अधिक उचा मापदंड बना देने के बाद उसका श्रम पर भी दुष्प्रभाव पड सकता है। इसलिये संतुलन बनाना आवश्यक होगा।

मैने गरीबी रेखा पर बहुत विचार किया। 70 वर्षो के शासन काल मे हम भारत के गरीब लोगो को इतना भी आस्वस्त नही कर सके कि उन्हे भरपेट भोजन तो मिलेगा ही । जब भारत चांद पर जा सकता है बडे बडे उद्योग लगाये जा सकते है, तकनीकी आधार पर दुनियां से प्रतिस्पर्धा की जा सकती है, तो कुछ लोगो को गरीबी रेखा से बाहर करना कोई कठिन कार्य नही है। मेरे विचार मे बुद्धिजीवी और पूंजीपति राजनेताओ के साथ मिलकर गरीबी रेखा को इसलिये समाप्त नही करना चाहते कि इसी बहाने दुनियां से भारत को भीख मिलती रहेगी । गरीबी रेखा एक दिन मे समाप्त की जा सकती है। यदि गरीबी रेखा से नीचे वालो को उतनी नगद राशि की प्रतिमाह सहायता कर दी जाय जितनी उन्हे कम हो रही है और पूरा पैसा कृत्रिम उर्जा का मूल्य बढाकर ले लिया जाय तो यह काम कठिन नही। यदि हम गरीबी रेखा को वर्तमान मे 50 रूपया प्रति दिन प्रतिव्यक्ति निर्धारित कर दे और उक्त सारा धन कृत्रिम उर्जा से टैक्स रूप मे ले ले तो सारी समस्या अपने आप सुलझ सकती है। एक ही दिन मे भारत गरीबी रेखा के कलंक से मुक्त हो सकता है बल्कि गरीबी रेखा अर्थात 30 रूपया की तुलना मे हम 50 रूपया प्रतिदिन उपलब्ध करा सकते है। मै आज तक नही समझा कि भारत के योजना कार ऐसा करने मे क्यो हिचकते हे। अंत मे मेरा यही सुझाव है कि गरीबी किसी भी रूप मे भारत की समस्या नही है। बल्कि उसे समस्या बनाकर देख के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

सामयिकी

समाचार मिला है कि केरल के एक गरीब परिवार ने अपना बच्चा किसी अन्य सम्पन्न व्यक्ति को एक लाख रु में बेच दिया। अनेक संगठन इसके विरुद्ध खडे हो गये और इस घटना का विरोध करने लगे । सरकार भी इस संबंध में बच्चे को बेचने और खरीदने वाले पर कानूनी कार्यवाही की तैयारी कर रही है।

मैंने बहुत सोचा कि इस घटना में सामाजिक अपराध क्या है और कानूनी अपराध अपराध क्या है? किसी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी अन्य की मौलिक स्वतंत्रता का हस्तारंतरण कर सके। इसका अर्थ हुआ कि बच्चे को बेचने वाले माता पिता और बच्चे को खरीदने वाले के बीच चाहे जो भी समझौता हो किन्तु उस बच्चे की स्वतंत्रता पर कोई अंतर नहीं आ सकेगा। जिस तरह बच्चा मां बाप के परिवार में जिस सीमा तक स्वतंत्र था उसी सीमा तक नये परिवार में भी जाकर स्वतंत्र रहेगा। किसी एग्रीमेंट के अतंर्गत उस बालक की इच्छा के विरुद्ध उसे खरीदने वाला परिवार उसके साथ कोई व्यवहार नहीं कर सकता। विचार करिये कि उसके माता पिता सक्षम नहीं थे, कोई अन्य सामाजिक संगठन भी उस बच्चे को एक लाख रुपया देकर लेने को तैयार नही था और सरकार भी ऐसा नहीं कर सकती थी तो मैं अब तब नहीं समझ पाया कि उस बच्चे के माता पिता के स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति उसे अपने साथ ले जाये तो उसमें उस बच्चे का क्या नुकसान हुआ, समाज का क्या नुकसान हुआ और सरकार का क्या नुकसान हुआ। बल्कि मेरे विचार से ऐसा होना अच्छा हुआ। संभव है कि उस बालक का भविष्य नये परिवार में अधिक अच्छा बन जाये। यदि आज कोई गरीब गरीबी के कारण अपने बच्चे को बेचता है तो यह समाज और सरकार के लिए कलंक की बात है। किन्तु मैं देख रहा हूॅ कि समाज के पेशेवर समाज सेवी तथा कुछ राजनेता अपनी कमजोरियों को दूर करने की चिंता न करके ऐसी घटनाओं को बलपूर्वक ढकने का प्रयास करते है जिससे उनका कलंक छिपा रहे। हमें चाहिए कि हम ऐसे परजीवी संगठन और सरकारों द्वारा सामान्य जनजीवन में किये जाने वाले अनावश्यक हस्तक्षेप के संबंध में सामाजिक जनजाग्रति पैदा करें। मैं तो केरल में घटी घटना को किसी भी रुप में कोई अपराधिक कृत्य नहीं मानता। बल्कि आपराधिक कृत्य तो वह है जो ऐसे मामलों में कानूनी हस्तक्षेप करते है।

शिवदत्त बाघा बांदा उत्तर प्रदेश

प्रश्न–आज 21 दिसम्बर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित अन्तराष्ट्रीय विश्व मानव एकता दिवस है। सपना सुन्दर है पर जिसे सपने को साकार करने की जिम्मेदार निभानी है वह विश्व सुन्दर नही है। सुन्दर से ही सुन्दर निकल सकता है। कमल तो महज अपवाद है। फिर भी सपना देखना किसी का भी हक बनता है। उसे रोकना टोकना विवाद खडे करना अस्वाभाविक है। 2005 मे ही संयुक्त राष्ट्र ने 8 दिसम्बर को अंतराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोध दिवस के रूप मे मनाने का फैसला लिया था। उस वर्ष इसकी थीम थी विकास शान्ति सुरक्षा । चुनावो मे विकास को खास मुददा बनाने वाली सरकार अथवा उनकी पार्टी ने इस दिन अपनी चुप्पी नही तोडी। भ्रष्टाचार के विरोध मे न कोई जन जागरण न कोई रैली न कोई डिवेट चिंतन मंथन। इस खास दिन को लेकर मीडिया व एन जी ओ के स्तर पर भी कोई हलचल प्रोग्राम नही। दूसरे संगठनो संस्थाओ के लिये तो यह कहा जा सकता है कि उन्ही मुददो विषयो को जोर शोर से पकडते है जिनका बाजार भाव उचे लेबल का और आकर्षण भी बडा होता है। भला ऐसा समाज भ्रष्टाचार के विरोध मे क्यो जायेगा जो भ्रष्टाचर मे ही डूबा हुआ है। मछली की तरह रही सरकारो की बात तो किसी सामाजिक राष्ट्रीय अन्तराष्ट्रीय मुददो से कही ज्यादा महत्वपूर्ण उनके लिये सत्ता है। जिस सत्ता के लिये आज सारा विश्व आमने सामने है, संघर्ष रत है, हिंसा रत है। किन्ही मानवीय मूल्यों के लिये यह हिंसा नही हो रही बल्कि उसके अभीष्ठ मे सिर्फ सत्ता है और सत्ता के अभीष्ठ मे निज सुख भोग न कि एक बेहतर दुनियां की चाहत। एक राष्टीय अखबार के मा0 सम्पादक जी है। यह अखबार छत्तीसगढ से भी निकलता है। वह बात बात मे लिखते है कि सभ्य समाज यह वर्दाश्त नही कर सकता, वह बर्दाश्त नही कर सकता । पता नही उनके सभ्य की परिभाषा क्या है? मै तो मानव के जंगल से निकलने से लेकर चांद तक पहुचने और महा विनाशकारी हथियारो के निर्माण की यात्रा तक पहुचने की कडियो को मानव सम्यता की सीढियो के रूप मे देखता हूॅ । शायद सम्पादक महोदय का सभ्य समाज से आशय सुसंस्कृत शिष्ट एक इमानदार व सत्य आग्रही समाज से है। पर यहां एक प्रश्न है कि क्या हम यानी मानव ऐसा कोई समाज अब तक बना पाया है। वह तो निरंतर पाशविक प्रवृत्ति हिंसा की तरफ बढ रहा है। शायद यही उसके अस्तित्व की गारंटी भी है।

आपको याद होगा कि स्वर्गीय मदन मोहन व्यास जी जो आपके अभिन्न मित्र व प्रशंसक भी थे और उन्हे एक बार आप रामानुजगंज ले भी गये थे । अहिंसक समाज रचना पाक्षिक पत्रिका निकालते थे । इस पत्रिका के उनके एक पाठक ने जो खुद के नाम के आगे सरकार लिखते थे उन्हे पत्र लिखकर आगाह किया था कि उन्हे आगे से पत्रिका

न भेजी जाय क्योकि इस पत्रिका का उददेश्य व चिंतन अप्राकृतिक अस्वाभाविक है। क्योकि प्रकृति मे निरंतर से हिंसा जारी है। तो क्या ? मनुष्य के लिये हिंसा मुक्त समाज बनाना नामुमकिन है। ऐसा ख्याल युटोपिया है सिर्फ । खैर जो भी हो सच्चाई तो यही दिखती है कि दुनियां बडी हिसा के लिये बिल्कुल तैयार है। बडे बडे मारक क्षमता वाले विनाशकारी हथियार युद्धक साजो समान का जखीरा विश्व के शक्तिशाली कहे जाने वाले राष्टो के पास इकठठा है। यह है सभ्य दुनिया की तस्वीर । शक्ति का पैमाना है विनाशकारी हथियार न कि इंसाानियत । इसमे कहां कुछ नया है। वीर भोग्या वसुन्धरा तो पहले से लोग बाहुबली रटते आ रहे है । जर जमीन जोरू को जड बताते आ रहे है इस सभ्य दुनिया के सामने भी आज वही पुराने तीन प्रश्न हिंसा नारी भ्रष्टाचार मुंह बाये खडे है। कल तक लोग अशिक्षित थे आज शिक्षा आकडो मे है पर ज्यो ज्यो समाज शिक्षित हुआ ठगी और अराजकता के नये नये रूप सामने आये इमान और सत्य बराबर लुढकते गये और कानून की लाइनो यानी एक झुठी जिंदगी, आडंबर भरी जिंदगी जीने का समाज ने अभ्यास किया । दूषित राजनीति विद्यालयो विश्व विद्यालयो तक मे प्रवेश कर गयी जिसने शिक्षा और धर्म के मायने तक बदल कर रख दिये कि संस्कार अभीष्ठ बन गये। शिक्षा संस्थानो मे कुविचारो की फसल उगाई जाने लगी। अभी 22 दिसम्बर को जागरण अखबार मे छपा कि बी एच यु मे छात्रो के एक वर्ग ने रंगदारी वसुलने के लिये वहां काम कर रहे मजदूरो को मारा पीटा। आगे चलकर यही लोग देश चलायेगे । विश्व नेतृत्व की बाते करेंगे । ऐसे हाथो मे विश्व के भविष्य के बारे मे क्या सोचा जाय क्या कहा जाये क्या लिखा जाये । आधुनिकता की आंधी मे पुरानी वर्ण आश्रम व्यवस्था 25 वर्ष तक विद्याध्यन ब्रहमचर्य पश्चात गृहस्थ आश्रम फिर वानप्रस्थ तत पश्चात सन्यास । न अधिकारो सम्पदा का टकराव न नारी पर आफत न किसी प्रकार का भ्रष्टाचार की उक्त मान्यताए उड गई। आधुनिकता के चलते असंयमित अमर्यादित जीवन शैली के कारण नारी पर आफत है। छोटी छोटी बच्चियो तक निशाने पर है। कानून की लाइनो पर जीने वाला समाज इस प्रवृत्ति को कानून का संकट समझ रहा है जबकि यह शुद्धता आचरण और असंयमित जीवन का संकट है तथा भारतीय वर्ण व्यवस्था को खारिज करने का दुष्परिणाम है। जिसमे 25 वर्ष की उम्र तक ब्रहमचर्य का पालन अनिवार्य था। आज सरे आम चुम्बन संस्कृति को बढावा मिल रहा है। नारी को केन्द्रित करके आज बहुत कुछ लिखा जा रहा है। और बहुत कुछ बोला जा रहा है। लेखनी के क्षेत्र मे पुरूष व नारी स्वयं भी कलम चला रहे है पर मन के भावो को दबाकर । अधिकतम नारी लेखिकाए नारी सशक्तिकरण बराबरी पुरूष प्रधान समाज पर ही कलम चला रही है। नारी स्वतंत्र व आधुनिकता का क्य अर्थ है इस पर किसी की स्पष्ट राय नही आ रही । गांधीवादी श्री राजीव बोरा ने बदलते मूल्यो के दौर मे जनभावनाए लेख मे लिखा कि भारतीय पारम्परिक जीवन शैली के कारण आज के दौर मे तथा कथित नारी स्वातंत्र प्रभावित हो रहा है। यह लेख संजय लीला भंसाली की पदमावती के संदर्भ मे लिखा गया था। जिसमे पदमावती की गरिमा यानी एक नारी के स्वाभिमान को गिराने का उपकम करते हुए पिक्चर्स मे उन्हे एक नृत्यागना के तौर पर पेश करने का प्रयास किया गया। अभी तक सामाजिक मूल्य नियम कायदे सब पुरूष तय करता आ रहा है अब यह सारा कार्य नारी के हवाले कर देना चाहिये और नारी को बजाय घिसी पिटी बातो के सारा संकोच छोड कर बताना चाहिये कि कैसा समाज परिवार चाहिये । अर्थात शादी संस्था चाहिये या लिव इन रिलेशन वाला समाज चाहिये या इससे भी आगे जाकर बिल्कुल ओपन सोसायटी । यह नारी के हक मे सबसे खास स्वतंत्रता होगी। समाज परिवार की बाबत पुरूष बिना नारी की सहमति के बोले जा रहा है, लिखा जा रहा है। जबकि पुरूष नारी के मुकाबले जीरो है। जब वह उसके बाये जुडती है तब उसे सार्थक संस्था वाला मान मिलता है। वह सृष्टि का आधार है। उसे केवल झुठी तसल्ली वाह वाही से अपनी समस्याओ से मुक्ति नही मिल सकती । अभी मैने एक दिन अखबार मे कोहली बनेंगे अनुष्का के सुल्तान पढा। आखिर पुरूष शातिर दिमाग यह क्यो नही लिख सका कि अनुष्का बनेगी कोहली की मालिक। एक तरफ नारी सशक्तिकरण का शोर दूसरी तरफ उसे हर हाल मे कमजोर पुरूष के सामने समर्पित दिखाने पर जोर। दोगला चेहरा आई ए एस भी अरविन्द सिंह विष्ठ राज्य सूचना आयुक्त यूपी की बेटी अपर्णा विष्ठ मुलायम सिंह यादव के बेटे से शादी करके विष्ठ से यादव बन गई। केरल की एक मेडिकल छाया एक मुसलमान युवक से शादी करके मुसलमान बन गई । ये सारे उदाहरण पुरूष के शक्तिशाली होने के ही उदाहरण है सिने स्टार सलमान खान की मां हिन्दू है पिता मुसलमान। सलमान खान माता के विपरीत पिता के धर्म पर गये। संजय दत्त की मां नरगिस मुसलमान थी और पिता स्व. श्री सुनील दत्त हिन्दू। संजय भी माता के विपरीत पिता के धर्म पर गये । इन दोनो बडे सिने कलाकारो ने नारी के मुकाबले पुरूष को ही शक्तिशाली ठहराया। हम विकासशील राष्ट्र है हमारी अपनी कमजोरियां हो सकती हे। पर दुख तो तब होता है जब कोई

शक्तिशाली धारा को बदलने की कूबत रखते हुए भी परम्पराओ के विपरीत जाने का साहस दिखाने की वजह उन्हे ही स्वीकार अंगीकार करते हुए दिखाई देता है। उस कडी मे शक्तिशाली विकसित राष्ट अमेरिका के राष्टपति डोनल्ड ट्रंप के बेटी इंवाका का नाम सामने आता है जिन्होने एक यहूदी युवक से शादी करके यहूदी बन गई । पता नही इस प्रकार के नारी की कमजोरी के कितने ही उदाहरण होगे जो संसद के दोगले चरित्र की कहानियां सुनाते है।

मै अपनी भारतीय लोकतांत्रित व्यवस्था को हर लिहाज से खिचडी व्यवस्था मानता हूॅ । चुनाव मे लोकतत्र कार्य मे सामंती राजशाही । अभी यूपी के विधान सभा मे एक नया विल पेश हुवा है। यूपी कोका। इसकी आड मे प्रदेश मे पुलिस राज कायम करने का इरादा है। उस देश मे तमाम प्रचलित कानून है। बडे फक से कहते भी है कि देश मे कानून का राज है पर जब कभी कोई बडा कानून के दायरे मे फंसता है तो कहते हुए यही सुना जाता है कि झुठा फसाया गया है द्वेष वश फंसाया गया है यानी कानून का खेल खत्म । फिर इसी झुठ पर अदालतो विधि व्यवसाइयों मे सहमति का खेल खेला जाता है। टूजी स्पेक्ट्रम घोटाले का मुकदमा सी बी आई की विशेष अदालत से अभी कल ही छूटा है। इस प्रकार के कितने ही मुकदमे है जिस पर खेल चलता है और करोडो की रोटी चलती है। फिर सब खतम हो जाता है फिर भी असलियत सामने आती ही नही। यूपी कोका को लेकर विपक्ष के नेता रामगोविन्द चौधरी ने सवाल उठाया कि रामयण काल और महाभारत काल मे कौन कौन से कानून थे न तुलसी ने इनका उल्लेख किया न वेदव्यास जी`ने । आखिर उस दुनियां को दुनिया के मुल्को को लोकतांत्रिक दिमाग समझ बुझ वाला व्यक्ति कब मिल पायेगा। जो लोकतंत्र मे निहित गांवो उसके उददेश्यो मूल्यो को समझ पायेगा और दूसरो पर निर्भरता से मानव को मुक्त करा सकेगा । दार्शनिक खलील जिब्रान का कहना था कि महान वह है जो किसी की सत्ता स्वीकार नही करता तथा जो किसी पर हुकूमत करने की इच्छा भी नही रखता।

उत्तर—मै अब तक नही समझा कि समाज सभ्यता की ओर बढ रहा है या असभ्यता की ओर। इसका ठीक ठीक आकलन आप साथी कर रहे है। मेरे विचार मे वर्तमान समय मे किसी एक निष्कर्ष तक पहुंच पाना कठिन होगा। मै इस बात से सहमत नही कि दुनियां मे हिंसा बढ रही है। हिंसक प्रवृत्ति तो बढती दिखती है किन्तु हिंसा यदि किया मे दिखती तो आबादी पर उसका विपरीत प्रभाव दिखना चाहिये था। आबादी बढ रही है । मार काट कम हो रही है अन्यथा आबादी घटती । युद्ध भी कम हो रहे हे। यह अलग बात है कि प्रगति अपर्याप्त है।

आपने वर्तमान अनेक गंभीर समस्याओ की चर्चा की हे। मेरी उन सबसे सहमति है किन्तु आपने समाधान के रूप मे सिर्फ यह लिखा कि अब समाज के सारे नियम कायदे तथा सामाजिक मुल्यो के निर्धारण का कार्य महिलाओ के सुपुर्द कर देना चाहिये। इस सुझाव से मै सहमत नही । मै समाज को एक सम्पूर्ण वर्ग के रूप मे मानने का पक्षधर हूॅ जिसमे महिला और पुरूष के रूप मे किये गये वर्ग निर्माण वर्ग विद्वेष को समाप्त करने की आवश्यकता है। स्वरूप परिवर्तन की नहीं । वर्ग समन्वय समय की मांग है वर्ग न्याय नही। आप फिर से विचार करिये। न तो सभी पुरूष खराब है। न सभी महिलाए अच्छी। अच्छी और बुरी प्रवृत्ति का प्रतिशत महिलाओ और पुरूषो मे लगभग एक समान है । इसलिये इस संबंध मे प्रत्येक इकाई को अपने इकाईगत निर्णय की स्वतंत्रता होनी चाहिये, कोई सार्वभौम नियम कानून नही। आपने स्त्री पुरूष विवाह के बाद महिला के नाम परिवर्तन की बात उठाई है तो मै नही समझता कि इसमे गलत क्या है। यदि कोई लडकी अपना परिवार और घर छोडकर दूसरे घर परिवार की सदस्य बनती है तो उसकी पहचान उस घर परिवार से होना गलत कैसे? लडकी अपनी स्वीकृति परिवार की सहमति तथा समाज की अनुमति के बाद यह समझते हुए दूसरे परिवार मे गई है कि उसका नाम विष्ट से यादव होगा । मै नही समझता कि इसमे गलत क्या है। महिला सशक्तिकरण के नाम सम्पूर्ण पुरूष समूह की आलोचना करना आज एक फैसन बन गयाहै । इससे बचना चाहिये।

आपने टू जी स्पेक्ट्रम के न्यायालयीन निर्णय की संभावित कमजोरियों का उदाहरण दिया किन्तु लालू प्रसाद का उदाहरण नहीं दिया। अनेक कमजोरियां है, यह सही है किन्तु उन कमजोरियों को बढा चढा कर समाज के समक्ष प्रकट करने से हम समाधान नही खोज सकते । समाधान के लिये वैचारिक संतुलन आवश्यक है। आपकी गिनती करोडो समान्य लोगो मे न होकर देश के महत्वपूर्ण दस पांच हजार लोगो मे है।

आपने अपने पत्र के अंत मे दार्शनिक खलील जिब्रान की पक्ति लिखी है कि महान वह है जो किसी की सत्ता स्वीकार नही करता तथा जो किसी पर हुकूमत करने की इच्छा नही रखता । इस संबंध मे मै आपको स्पष्ट कर दूं कि ग्राम संसद अभियान का हर कार्यकम धरती माता के प्रतीक स्वरूप ग्लोब के ही माल्यार्पण से शुरू होता है तथा सिर्फ एक ही प्रार्थना से समाप्त होता है। हे प्रभो आप मुझे शक्ति दो कि मै दूसरो को अपनी इच्छानुसार संचालित करने की इच्छा अथवा दूसरो की इच्छानुसार संचालित होने की मजबूरी से दूर रह सकू। यदि ऐसा न हो तो सबको सहमत कर सकू और फिर भी ऐसा न हो तो ऐसी इच्छाओ का अहिंसक प्रतिरोध करू।

मेरे विचार मे उपरोक्त प्रार्थना स्पष्ट है। मै चाहता हूँ कि हम दुनियां की सिर्फ समस्याओ की चर्चा न करके कुछ समाधान की भी सोचे। सारी दुनियां खराब है सब कुछ बिगड गया । ऐसा कहने वाले आपको सारी दुनियां मे मिल जायेगे। यह बात सौ दो सौ वर्ष पहले भी कही जाती थी आज भी कही जा रही है। और भविष्य मे भी कही जायेगी किन्तु इस बात को बढा चढाकर कहना ही पर्याप्त नही है। समाधान सोचना भी होगा और करना भी होगा। हमारे मित्रो की टीम इस चिंतन और सकियता मे निरंतर लगी हुई है। परिणाम ठीक दिशा मे दिखने शुरू हो गये है। एक तरफ मंथन कार्यकम के माध्यम से विचार मंथन जारी है तो दुसरी तरफ संविधान मंथन के माध्यम से संवैधानिक व्यवस्था पर भी विचार हो रहा है। तीसरी तरफ ग्राम संसद अभियान के माध्यम से समाज और राजनीति के संबंधो पर भी निरंतर देश भर मे सकियता बढ रही है। आशा है कि इस दिशा मे आपका सहयोग मिलेगा।